12

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

क्रमांक....................../एम.सी./अराज–5/2022 भोपाल, दिनांक......../10/2022

//कार्यालयीन आदेश//

प्रमाणित किया जाता है कि स्वशासी गॉधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के अधीन संबद्ध संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,हमीदिया चिकित्सालय भोपाल की स्थापना में पदस्थ स्वशासी स्टाफ नर्सों को संबंधित चिकित्सा महाविद्यालयों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर एवं मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ–एफ 2/57/2018 /55–1 दिनांक 30 सितम्बर 2018 में किए गये प्रावधानो के अनुसार कॉलम क्रमांक 04 में अंकित निम्नलिखित स्टाफ नर्सों को सर्शत नवीन नियुक्ति प्रदान की जाती है ।

क 1	कर्मचारी का नाम (जाने वाले) (2)	पदस्थापना स्थल (जाने वाले) (3)	कर्मचारी का नाम (आने वाले) (4)	पदस्थापना स्थल (आने वाले) (5)
1	खुशबु इशरत खान (अनारक्षित)	गॉ0चि0महा0भोपाल	ज्योति चौहान,(अनारक्षित)	चि0 महावि0 शहडोल
2	एन्जल डावर,(अनु0ज0जा0)	गॉ0चि0महा0भोपाल	इन्दु अलावे,(अनु0ज0जा0)	चि0 महावि0 इंदौर
3	स्वाती पटेल,(अ0पि0व0)	गॉ0चि0महा0भोपाल	नीलम पवार, (अ0पि0व0)	चि0 महावि0 दतिया
4	पूजा सिंह पटेल,(अ0पि0व0)	गॉ0चि0महा0भोपाल	प्रभादेवी कुशवाहा (अ0पि0व0)	चि0 महावि0 रीवा
5	नरेन्द्र कुश्वाहा,(अ0पि0व0)	गॉ0चि0महा0भोपाल	शिवम कुमार लोधी,(अ0पि0व0)	चि0 महावि0 शिवपुरी

1.पारस्परिक नियुक्ति के आवेदन समान पद के लिए होना चाहिए ,ऐसे आवेदन पत्रों पर संबंधित दोनों आवेदकों के हस्ताक्षर होना चाहिए ।

2.पारस्परिक नियुक्ति के प्रकरणों में दोनों आवेदकों को संबंधित महाविद्यालयों में चयन किया जाने की दशा में संबंधित महाविद्यालय ऐसे आवेदकों को नवीन नियुक्ति दे सकेगा ।

3.नवीन नियुक्ति दियें जाने की दशा में पूर्व महाविद्यालय में की गई सेवा का वेतन संज्ञान में लेते हुए चयनित व्यक्ति का वेतन निर्धारित किया जा सकेगा।

4.उक्तानुसार वरीयता निर्धारण के लिए नवीन नियुक्ति मानी जावेगी और ऐसी नियुक्ति पालन में महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरीयता निर्धारित होगी।

5.उपरोक्त अनापत्ति पत्र दोनो आवेदकों द्वारा अपने अपने नवीन कार्यस्थल पर चयनोपरांत कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में ही पूर्ण प्रभावी मान्य होगी। दोनो आवेदको में से एक भी आवेदक द्वारा अपनी नवीन पदस्थापना पर कार्य भार ग्रहण न करने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र स्वयमेव निरस्त माना जायेगा एवं आवेदकों को अपने मूल नियुक्ति स्थल पर पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा।

6.चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा । अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयमेव समाप्त माना जावेगा ।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय,स्वशासी समिति, भोपाल

पृ. क्रमांक 52722-34 /स्था/अराज–5/2022 भोपाल, दिनांक 01/10/2022

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1.अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल/इंदौर/दतिया/रीवा/शिवपुरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2 संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3 विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक, मानसिक रोग विभाग गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल।

4 मेट्रन, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

5.संबंधित कर्मचारी ....स्वशासी स्टाफ नर्स द्वारा –संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, हमीदिया चिकित्सालय भोपाल/मानसिक रोग विभाग की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित।

6.आदेश नस्ति/व्यक्तिगत नस्ति।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वशासी संस्था भोपाल